प्रेस नोट   दिनांक 01/07/2026

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 20494 /- (बीस हजार चार सौ चौरानवे) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 20494 /- (बीस हजार चार सौ चौरानवे) पीड़ितगण, 1. अनुराधा यादव पुत्री चन्द्रशेखर यादव पता सूखापट्टी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को 16500/- रुपये, 2. विशाल कुमार निवासी उनहाइच थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को 3994/-रुपये पीडितगण सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के थाना क्षेत्र मधुबन एवं रामपुर क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरटीओ विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया-

अभियान के दौरान विभिन्न विद्यालयों के वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, जीपीएस तथा अन्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया।

जांच के दौरान यातायात नियमों एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कुल 15 वाहनों का चालान किया गया तथा गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 03 वाहनों को सीज किया गया।

अधिकारियों द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि वे शासन एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा स्कूली बच्चों की

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में भी इस प्रकार के विशेष चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 01.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1100 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 331वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस नोट

01/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 30/07/2026 को वारंटी अभियुक्त अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र निवासी दुबारी मोड़ कस्वा थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2026 को 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी -1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना मधुबन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 585/2011 धारा 308,452,323,504,506 भादवि आरोपी हीरालाल यादव पुत्र स्वर्गीय नारायण निवासी कुंवरपुरवा थाना मधुबन जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया

सार्वजनिक स्थानो पर हुड़दंग मचाने वाले 15 शराबी/मनचले गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन व कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला की एण्टीरोमियो टीम व अन्य पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 15 शराबियों राजू चौहान,रामाधार, अर्जून चौहान, सूरज चौहान, अहमद, अरविन्द, राजन चौहान, गुलशन, राजू, छोटू, मुख्तार, आजाद अहमद, किशन कुमार, अशोक, जयराम को हिरासत में लेकर 34 पुलिस एक्ट की कार्यवाही की गयी तथा रोड पर तेज गति से स्टंटबाजी करते हुए चलायी जा रही 04 मोटर साइकिलो को सीज किया गया।